भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 321
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 (15 अग्रहायण, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

पीएसीएस के लिए आदर्श उप-नियम

321 # **श्री बिप्लब कुमार देब:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा बनाए गए आदर्श उप-नियम राज्यों को परिचालित किए जा चुके हैं;
(ख) यदि हाँ, तो इससे पीएसीएस एवं उनसे जुड़े किसानों को किस प्रकार लाभ होगा; और
(ग) मंत्रालय द्वारा पीएसीएस के लिए बनाए गए आदर्श उप-नियम किन-किन हितधारकों से चर्चा के उपरांत बनाए गए थे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की व्यवहार्यता में सुधार करने और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाकर उन्हें पंचायत/ ग्रामीण स्तर पर जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने हेतु, सहकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श उप-नियम तैयार किए गए हैं।

आदर्श उप-नियम तैयार करने के लिए, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (VAMNICOM), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा तैयार किए गए आदर्श उप-नियमों का मसौदा 1 जुलाई, 2022 को सभी हितधारकों जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और आम जनता को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया तथा सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट परफीडबैक/सुझावों के लिए पोस्ट भी किया गया।

सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न हितधारकों से 1,500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें मॉडल उपनियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। प्राप्त सुझावों को शामिल करने के

उपरांत, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद पैक्स द्वारा अपनाए जाने के लिए आदर्श उप-नियमों को 5 जनवरी, 2023 को परिचालित किया गया। आदर्श उप-नियमों को 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

आदर्श उप-नियम पैक्स को गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट गतिविधियां, सामान्य सेवा केंद्र, आदि सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू कर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे। पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक-आधारित बनाने के लिए तथा महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रयाप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु भी प्रावधान किए गए हैं।

आदर्श उप-नियमों को अपनाने से, पैक्स बहु-सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने, अपनी परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण एवं विभिन्न गैर-क्रेडिट सेवाएं, आदि प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे ।

आदर्श उप-नियम किसानों को उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही स्थान पर अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण और अन्य सेवाएं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, भंडारण सुविधाएं, बैंकिंग सेवाएं, आदि प्राप्त करने में मददगार साबित होंगे । इसके अतिरिक्त,आदर्श उप-नियमों के माध्यम से किसान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सूक्ष्म बीमा, सीएससी की 300 से अधिक ई-सेवाओं, आदि का लाभ भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण के माध्यम से, मॉडल उपनियम किसानों को आय के अतिरिक्त तथा स्थिर स्रोत प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएंगे।

*****